FIVE RUPEES पांच रुपये TEN RUPEES दस रुपये

(12)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १२००६-०७ निगरानी (राजस्व)

R. 1223 II) 06

१- सूरतराम
२- धीर सिंह
३- विजय सिंह
४- इन्द्र सिंह
५- मुन्नालाल
समस्त पुत्रगण मलखान सिंह,
६- श्रीमती हँसो देवी पत्नी मोर्गीराम,
समस्त जाति काछी, निवासी ग्राम खेर
परगना- मेंहगांव, जिला भिण्ड (म०प्र०)
----- आवेदक

बनाम

१- श्रीमती जमुना बाई वेवा अमर सिंह,
२- राजीव पुत्र अमर सिंह जाति काछी,
नाबालिग सरपरस्त माँ, जमुना बाई- वे
अमर सिंह,
३- रामकेश पुत्र मुलन सिंह, जाति-काछी,
४- अजुदी प्रसाद
५- मेवाराम
६- जसवंत प्रसाद
७- ज्ञान सिंह,
८- जगदीश
समस्त पुत्रगण सुखराम
९- हँसराज पुत्र दुर्जन
१०- भूरी बाई पत्नी सोनेराम
११- विनोद
१२- प्रमोद
१३- जीतू
समस्त पुत्रगण सोनेराम, नाबालिग स

१४- राजेन्द्री पुत्री सोनेराम

१५- श्रीकृष्ण पुत्र भजन लाल

१६- राजाबेटी पुत्री भजनलाल,

१७- सावित्री पत्नी भजनलाल

१८- रामसिंह पुत्र मोगीराम,

समस्त निवासी ग्राम- खेरा, परगना ~~०००~~ मैंहगाँव, जिला-भिण्ड (म०प्र०) ।

------ अनावेदक

निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा ५०-भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक १६-६-२००६ न्यायालय श्री एम०के० वार्ष्णेय आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना (म०प्र०) प्रकरण क्रमांक ४८।२००४-२००५ अपील (राजस्व) ।

श्रीमान् जी,

आवेदक गण की ओर से निगरानी प्रार्थना-पत्र नि[illegible] प्रकार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, आवेदकगण तथा अनावेदकगण के मध्य ग्राम खेरा तह[illegible] मैंहगाँव जिला भिण्ड में स्थित कृषि भूमि खाता क्रमांक १०६ व[illegible] का बटवारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प ठहराव क्रमा[illegible] दिनांक २६-६-२००१ को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि अंकित ह[illegible] के उपरान्त कृषि भूमि की ऋण पुस्तिकायें प्रदान की गई ।

२- यह कि, दिनांक २८-६-२००१ को बटांकन स्वीकार किया गया तथा राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टी अंकित की गई । तत्पश्चात् अनावेदक क्रमांक-१ द्वारा बंटवारें में आवेदकगण को प्राप्त हु[illegible] भूमि के हिस्से से भूमि खसरा क्रमांक 247/4 का विक्रय-पत्र का दिनां[illegible] 31.5.04 को निष्पादन कराया । इस प्रकार बंटवारा पूर्ण सहम[illegible] से हुआ, किन्तु अनावेदक क्रमांक-१ द्वारा इस तथ्य को अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया । न्यायालय अनुवि[illegible] अधिकारी द्वारा अनावेदक क्रमांक-१ की अपील निरस्त की गई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(26)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1223–दो/06 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–04–14	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 12–09–2007 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 02–04–2014 तक नियत होता रहा किन्तु 12–09–07 से 02–04–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 02–04–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2006 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	